भाग-I

हरियाणा सरकार

विधि तथा विधायी विभाग

अधिसूचना

दिनांक 15 नवम्बर, 2010

संख्या लैज० 24/2010.—दि पंजाब शे'ड्यूल्ड रोडज ऐन्ड कॅनट्रोल्ड ए'ऑरिअॅज़ रिस-ट्रिकशॅन ऑव़ ॲनरे'ग्यूलेटिड डिवे'लॅप्मॅन्ट (हरियाणा सेकन्ड ॲमे'न्डमेन्ट) ऐक्ट, 2010, का निम्नलिखित हिन्दी अनुवाद हरियाणा के राज्यपाल की दिनांक 8 नवम्बर, 2010, की स्वीकृति के अधीन एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है और यह हरियाणा राजभाषा अधिनियम, 1969 (1969 का 17), की धारा 4-क के खण्ड (ख) के अधीन उक्त अधिनियम का हिन्दी भाषा में प्रामाणिक पाठ समझा जाएगा :—

2010 का हरियाणा अधिनियम संख्या 15

पंजाब अनुसूचित सड़क तथा नियंत्रित क्षेत्र अनियमित विकास निर्बन्धन (हरियाणा द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2010

पंजाब अनुसूचित सड़क तथा नियंत्रित क्षेत्र अनियमित विकास निर्बन्धन अधिनियम, 1963, हरियाणा राज्यार्थ को आगे संशोधित करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के इकसठवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

1. यह अधिनियम पंजाब अनुसूचित सड़क तथा नियंत्रित क्षेत्र अनियमित विकास निर्बन्धन (हरियाणा द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2010, कहा जा सकता है। संक्षिप्त नाम।

2. पंजाब अनुसूचित सड़क तथा नियंत्रित क्षेत्र अनियमित विकास निर्बन्धन अधिनियम, 1963, की धारा 5 की उपधारा (1) में, "तीन मास" शब्दों के स्थान पर, "एक वर्ष" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे। 1963 के पंजाब अधिनियम 41 की धारा 5 का संशोधन।

आर० सी० बंसल,
विधि सचिव, हरियाणा सरकार,
विधि तथा विधायी विभाग।